न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 86/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.श्रीराम पुत्र स्व0 श्री भैराराम 02.राजूराम पुत्र स्व0 श्री भैराराम 03.जुलाराम पुत्र स्व0 श्री भैराराम 04.जवरीलाल पुत्र स्व0 श्री भैराराम 05.घेवरराम पुत्र स्व0 श्री भैराराम 06.ताराचंद पुत्र स्व0 श्री भैराराम 07.जालाराम पुत्र स्व0श्री भैराराम जाति कुम्हारान प्रजपाति निवासीगण हाल हनुमान नगर एणियो की ढाणियो झालामण्ड तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।		01.सुखराम पुत्र छैलाराम उम्र 72 वर्ष जाति कुम्हार प्रजापति निवासी हाल हनुमान नगर एणियो की ढाणियो झालामण्ड तहसील जोधपुर जिला जोधपुर। 02.दयालरा प्रजापत पुत्र श्री लूणाराम जाति प्रजापत निवासी हनुमान नगर झालामण्ड चोराह जोधपुर 03.राजूराम पुत्र श्री बंशीलाल जाति प्रजापत निवासी हनुमान नगर झालामण्ड चौराह तहसील जोधपुर। 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गोपाल मेघवाल उपस्थित नही ।

02.अप्रार्थीगण संख्या 2 से 3 की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद सिह उपस्थित।

दिनांक 27/5/2024

निर्णय

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 की सहखातेदारी संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 2.3795 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 42 रकबा 13.3060 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम नया खाता संख्या 106 व पुराना 121 तथा खसरा नम्बर 350 रकबा 4.6620 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम नया खाता संख्या 120 पुराना 106 जमाबन्दी संवत 2077 से 2078 वाके ग्राम श्री राजेश्वर नगर पटवार हल्का काकाणी तहसील लूणी व जिला जोधपुर मे आयी हूई है जो संलग्न जमाबन्दी एव नामान्तरकरण से भी स्पष्ट है कि उक्त दोनो खातो की भूमि पूर्व मे प्रार्थीगण के पिता भैराराम के नाम से 1/2 हिस्सा पर सहखातेदारी दर्ज थी। भैराराम के स्वर्गवास होने के पश्चात उनके पुत्रियो द्वारा प्रार्थीगण अर्थात् अपने भाईयो के हक मे हकतर्कनामा निष्पादित करने के बाद प्रार्थीगण के नाम से उक्त दोनो खातो की भूमि मे खातेदारी दर्ज होकर काश्त करते आ रहे है। तथा 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 बतौर खातेदार दर्ज होकर उक्त भूमि पर सहस्वामित्व एव संयुक्त खातेदार के रूप मे काश्त करते आ रहा है तथा प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य उक्त आराजी का आज दिन तक लिखित रूप से बंटवाडा नही हुआ है यानि की उक्त खसरान् की भूमि आज दिन तक अविभाजित है अर्थात् प्रत्येक खातेदार हिस्से भूमि पर संयुक्त भूमि कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के पिताजी के जीवनकाल व अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य कई वर्ष पूर्व मौखिक रूप से अपनी सुविधा के अनुसार सभी भाई उपजाऊ खेतो के अनुसार एक वर्ष के अन्तराल के दोरान चौमासा माह बरसाती खेती काश्त करते आ रहे है तथा खसरा नम्बर उक्त आराजी की खसरा नम्बर 42 व 350 की भूमि ग्राम काकाणी से शिकारपुरा आने वाली मुख्य रोड पर स्थित है जिसकी बाजारू किमत शेष खसरान की भूमि से कई गुना अधिक है उक्त खसरान की भूमि का जब तक पक्षकारान का विधिवत रूप से हिस्से के रूप मे बंटवाडा नही हो जाता तब तक अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को उक्त भूमि का किसी प्रकार का हस्तान्तरकण बैचान नही करे एव किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जावे तथा मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड एव मौके की स्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 से 3 की तरफ से विक्रम सिह द्वारा वकालतनामा मय जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया अपने जबाव मे प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यो का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता को प्रकरण मे बहस हेतु न्यायहित मे अन्तिम से अन्तिम अवसर बहस वास्ते दिये गये परन्तु प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित नही।

अप्राथीगण अधिवक्त द्वारा अपने जबाव के तथ्यो को दोहरते हुवे बहस मे बताया गया कि ग्राम राजेश्वर नगर पटवार हल्का पटवारी के खसरा नम्बर 350 रकबा 28 बीधा 16 बिस्वा बारानी प्रथम भूमि आई हुई है। उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को जरिये बेचाननामा दिनाक 10.08.2021 का खरीद किया गया है जो बेचाननामा पुस्तक सख्या 1 जिल्द संख्या 317 पृष्ट संख्या 158 कम संख्या 202103063103632 उपपंजीयक लूणी जिला जोधपुर बेचान कर दिया गया है प्रार्थी संख्या 4 व 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज है एव उनको उक्त कृषि भूमि को हर प्रकार से उपयोग व उपयोग करने का अधिकार है तथा जब पूर्व मे प्रार्थी संख्या 4 व 6 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का बेचान किया जा चुका है तो इस प्रकार के तथ्यो को अकित किया जाना एव भूमि का बंट को लेकर विवाद उत्पन्न करना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नही है तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या एव झूठे तथ्यो के आधारित होने से सव्यय प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष मे आदेश किया जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 41, 42, 350 कुल 3 खसरा ग्राम श्री राजेश्वर नगर पटवार हल्का काकाणी तहसील लूणी, जिला जोधपुर की कृषि भूमि बाबत प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण अपने अपने खातेदारी हिस्सो पर सयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे थे तथा शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है जिससे प्रार्थीगण स्वीकार कर रहा है इस कारण प्रार्थीगण उक्त भूमि को विवादग्रस्त साबित कराने मे असफल रहा। ऐसी स्थिति मे प्रथम दष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होना पाया जाता है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिंदु साबित करने में असफल रहे है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम हो।

(पुखराज कांसोटिया आर,ए,एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner